(30)

संख्या 454/का-2-2003

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 29 मार्च, 2003

विषयः— बैकलाग की भर्ती हेतु अधिसंख्य पदों का सृजन।

महोदय,

शासनादेश संख्या 22/43/82/का-2-2002, दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 में यह उल्लेख किया गया था कि कहीं कहीं आरक्षित पदों के विपरीत सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं और आरक्षित वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति इस कारण नहीं हो पा रही है कि पद उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में पद सृजन की आवश्यकता है के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि यदि आरक्षित वर्ग के पदों पर सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं और आरक्षित वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के भर्ती तथा पदोन्नति के लिए पद उपलब्ध नहीं है तो अधिसंख्य पदों का सृजन कर बैकलाग को पूरा कर लिया जाय।

उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी विभाग अपने-अपने नियंत्रणाधीन संगठनों की समीक्षा कर लें। तदुपरान्त यदि बैकलाग को भरने के लिए उक्त परिस्थितियों के अनुसार अधिसंख्य पदों के सृजन की आवश्यकता पायी जाती है तो समुचित प्रस्ताव वित्त विभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय।

भवदीय,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।